भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4029

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 अप्रैल, 2018 को दिया गया)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु पुख़्ता सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर

4029. डा॰ वी॰ मैत्रेयनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट कार्य के बारे में सरकारी आनलाइन रजिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए पुख़्ता सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो इस कार्य में शामिल आईटी साफ्टवेयर कंपनी तथा उक्त कार्य हेतु विगत तीन वर्षों में प्रदत्त धनराशि के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा कंपनी कार्य से संबंधित ऑफलाइन कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए लेखा परीक्षकों/कंपनी सेक्रेटरी और पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी पंजीकरण को और कारपोरेटों के लिए अनुपालन फाइलिंग संबंधित सेवाओं के विस्तार हेतु एमसीए 21 नामक एक आद्योपांत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्यान्वित किया है। यह परियोजना मार्च, 2006 में पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, परिचालन और हस्तांतरण (बूट) मॉडल पर कार्यान्वित की गई थी। यह परियोजना सार्वजनिक सेवाएं देने में सेवा केन्द्रित दृष्टिकोण और कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम के प्रशासन के लिए एक मिशन मोड पर शुरु की गई थी। एमसीए 21 संस्करण-1 "टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस)" द्वारा विकसित किया गया और इसका रख-रखाव वर्ष 2006 से जनवरी, 2013 तक टीसीएस द्वारा किया गया। एमसीए 21 के अगले चरण (अर्थात् एमसीए 21 संस्करण 2) के कार्यान्वयन की संविदा जनवरी, 2013 से जुलाई, 2019 तक मैसर्स इंफोसिस को दी गई थी। सीसीईए द्वारा 6½ वर्ष (जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) के लिए अनुमोदित कुल परियोजना अनुमान 357.81 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 में कंपनी के लिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 203 और 204 में अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियों के लिए कंपनी सचिव की नियुक्ति और अनुसचिवीय लेखापरीक्षा का प्रावधान है।

*****